न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 93/2011

1 छोटी देवी पत्नी किशन।
2 श्री किशन पुत्र मुरलीराम।
3 हरफूल पुत्र नरसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण सामोतान की ढ़ाणी तन चक खटून्दरा हाल आबाद ठिकरिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नारायण सिंह पुत्र बलदेव।
2 गणपत पुत्र मुरली समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी सामोतान तन ठिकरिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 श्रवण कुमार पुत्र सुरजाराम।
4 नन्दाराम पुत्र सुरजाराम।
5 गिरधारी पुत्र सुरजाराम।
6 रामेश्वर पुत्र सुरजाराम।
7 झाबर पुत्र नन्दाराम।
8 रिछपाल पुत्र नन्दाराम।
9 सागरमल पुत्र श्रवण कुमार।
10 मूलाराम पुत्र श्रवण कुमार।
11 प्रभाती पत्नी नन्दाराम।
12 जड़ाव देवी पत्नी श्रवण कुमार।
13 मूली देवी पत्नी गिरधारी।
14 गीता पत्नी रामेश्वर समस्त जाति गुर्जर निवासीगण भवानीपुरा ग्राम पंचायत चौमू पुरोहितान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला मुकदमा नम्बर 90/2010 उनवानी छोटी बनाम नारायण सिंह वगैरह दिनांकित 22.07.2011

उपस्थिति :

1. श्री पोखरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामदयाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 90/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम ठिकरिया की भूमि खसरा नम्बर 1048 से 1052 पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय करने के आधार पर वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादवादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1048 से 1052 वाके ग्राम ठिकरिया पूर्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजरत अपील अधिकारी
सीकर

खातेदार ग्यारसी लाल से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.11.1988 क्रय किया था। जबकि राजस्व रिकार्ड में भूमि मंदिर रघुनाथ जी के नाम से दर्ज है। मौके पर पक्षकारान काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर अपीलांट को बेदखल करना चाहते है। इससे रोकने के लिए अपीलांट ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के आवेदन की तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का दावा ला सकता है। अपीलांट को खातेदारी के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने वाद में किसी प्रकार की उदघोषणा नहीं चाही है। अतः विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का दावा ला सकता है। अपीलांट को खातेदारी के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने वाद में किसी प्रकार की उदघोषणा नहीं चाही है। अतः विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर